भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1991

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के तहत लंबित आवेदन

1991. श्री तारिक अनवर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम-किसान और अन्य कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) पीएम-किसान की सूची में शामिल किए जाने के लिए पीएम-किसान योजना के कितने आवेदन वर्तमान पात्रता मानदंड के मानकों को पूरा करने के बावजूद विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं; और

(ग) उक्त योजनाओं से अब तक लाभान्वित किसानों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है।

योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं सत्यापन करने तथा पात्र किसानों का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया है। इस योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को उचित सत्यापन के बाद संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, वहां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। एक बार जब यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो विभाग द्वारा लाभ पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और उसे अगली किस्त में जारी किया जाता है।

अन्य प्रमुख कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

अन्य प्रमुख कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

- **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना** एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यह **18** से **40** वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें **60** वर्ष की आयु प्राप्त करने पर **3000/-** रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक **24.76** लाख से अधिक छोटे और सीमांत किसान पीएम केएमवाई योजना में शामिल हो चुके हैं।

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):** किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और सीमा निर्धारण के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं को दूर करने के लिए 2016 में पीएमएफबीवाई शुरू की गई थी। कार्यान्वयन के पिछले 8 वर्षों में - 63.19 करोड़ किसानों ने नामांकन किया और 19.68 करोड़ (अनंतिम) से अधिक किसान आवेदकों को 1,73,349 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा प्रीमियम के शेयर के रूप में लगभग 32,477 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसके विरुद्ध उन्हें 1,73,349 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावे का भुगतान किया गया।

- **किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना**: पोषक तत्वों के बेहतर उपयोग के लिए वर्ष **2014-15** में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की गई थी। वर्ष **2024-25** में किसानों को **64.24** लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

- **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)**: परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 2015-16 में शुरू की गई पहली व्यापक योजना है। 2015-16 से 21.02.2025 तक, कुल 2311.47 करोड़ रुपये जारी किए गए। पीकेवीवाई योजना के तहत 42738 क्लस्टर (20 हेक्टेयर प्रत्येक) बनाए गए, 10.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया (एलएसी और आकांक्षी जिला कार्यक्रम सहित)। उपरोक्त के अलावा, पीकेवीवाई योजना के बीपीकेपी कार्यक्रम के तहत कुल 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया और पीकेवीवाई योजना के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 272.85 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई, कुल 9551 क्लस्टर बनाए गए और 1.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजना**: पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 में एमओवीसीडीएनईआर योजना शुरू की गई। एमओवीसीडीएनईआर योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु विशिष्ट, केंद्रित, प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों का विकास करना और इनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से लेकर संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में ब्रांड निर्माण पहल के लिए

सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करना है। योजना का मुख्य फोकस उपज के निर्यात पर है। 2015-16 में शुरू होकर, योजना के तीन चरण पूरे हो चुके हैं और 1.85 लाख हेक्टेयर को शामिल किया गया है और 379 एफपीओ बनाए गए हैं, 2.15 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है।

- **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन:** प्राकृतिक खेती, पशुधन और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रसायन मुक्त खेती का तरीका है, जिसमें किसी भी तरह के उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भारत सरकार 2019-20 से सीमित क्षेत्र में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत एक उप-योजना "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति-(बीपीकेपी)" के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। बीपीकेपी के तहत, 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

- **एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड:** देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रुपये की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना शुरू की गई। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत निम्नलिखित सहायता प्रदान की जा रही है।

  (i) ब्याज सब्वेंशन: इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर **2** करोड़ रुपए की सीमा तक **3%** प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्वेंशन मिलता है। यह सब्वेंशन अधिकतम **7** वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। **2** करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों के मामले में**,** ब्याज सब्वेंशन **2** करोड़ रुपए तक सीमित है।

  (ii) क्रेडिट गारंटी: माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई**)** योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए **2** करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। एफपीओ के मामले में डीए एंड एफडब्ल्यू की एफपीओ प्रमोशन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ उठाया जा सकता है।

  28 फरवरी 2025 तक, एआईएफ के तहत 97944 परियोजनाओं के लिए 59,943 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 44,264 करोड़ रुपये योजना लाभ के अंतर्गत आते हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 96,680 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 25,671 कस्टम हायरिंग सेंटर, 20,216 प्राइमरी प्रसंस्करण केंद्र, 15,125 वेयर हाउस, 3,534 शार्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयाँ, 2,265 कोल्ड स्टोर परियोजनाएँ और 31,933 अन्य प्रकार की कटाई-पश्चात प्रबंधन परियोजनाएँ और लाभकारी कृषि संपत्तियाँ शामिल हैं।

- **एफपीओ को बढ़ावा देना:** 29 फरवरी, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई। 31 जनवरी 2025 तक, नई एफपीओ योजना के तहत 9,869 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं। 4,868 एफपीओ को 265.7 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है। 1,933 एफपीओ को 468.5 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया।

- **प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)**: वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान पीडीएमसी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 से पीडीएमसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।

  इस योजना के तहत, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक (अब तक) इस योजना के माध्यम से देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पहले की दस वर्षों की अवधि की तुलना में लगभग 104% अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2015-16 से पीडीएमसी के तहत 22,574 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

- **ई-नाम विस्तार प्लेटफार्म**: विभाग ने ई-नाम की शुरुआत से अब तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1410 मंडियों को इसके साथ एकीकृत किया है। राजस्थान की 21 नई मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया है। 31 दिसंबर 2024 तक 1.79 करोड़ किसान और 2.63 लाख व्यापारी ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल 11.02 करोड़ मीट्रिक टन और 42.89 करोड़ किस्मों (बांस, पान, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से लगभग 4.01 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज किया गया है।

  - **कृषि यांत्रिकीकरण:**- कृषि यांत्रिकीकरण कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि संचालन के कष्टों को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014-15 से जनवरी 2025 तक कृषि यांत्रिकीकरण के लिए 8006.28 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 19,51,080 मशीनों और उपकरणों को किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराया गया है। कृषि मशीनों और उपकरणों को किसानों तक किराए पर पहुंचाने के लिए 26,801 कस्टम हायरिंग केंद्र, 702 उच्च तकनीकी हब और 24,670 कृषि मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। 2024-25 के दौरान राज्यों को 970.60 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

*****